जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका

महेन्द्र सिंह बिलोनिया

प्राचीनकाल में जनसंचार के साधनों के रूप में जहां कबूतर, तोता आदि पक्षियों के साथ-साथ ध्वनि प्रतीक चिन्हों, जिनमें ढोल-नगाड़े आदि का प्रयोग किया जाता था, वहीं आज वैज्ञानिक युग में इनका स्थान पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, इंटरनेट के साथ-साथ मोबाइल आदि ने ले लिया है। वर्तमान मनुष्य संचार साधनों का आदी होता जा रहा है। यदि वह दो-चार दिन समाचार पत्र नहीं पढ़े और न्यूज नहीं सुने तो उसे ऐसा लगता है कि वह वर्तमान से कितना पिछड़ चुका है। इसका तात्पर्य है कि मीडिया व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और वह किस तरह से जनमत को प्रभावित कर रहा है।

जनमत को लोकतन्त्र की प्रेरणा-शक्ति कहा जाता है। वर्तमान समय में कोई भी सरकार हो, वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जनमत का ध्यान अवश्य रखती है। किंबल के शब्दों में–"जन साधारण समय विशेष पर जो राय रखते हैं, वही जनमत होता है।" हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जनमत कोई स्थाई वस्तु नहीं है क्योंकि लोग अपने अनुभव के आधार पर या कोई नई जानकारी प्राप्त होने से या

किसी अन्य प्रभाव के कारण किसी भी समय अपनी राय बदल सकते हैं।

आधुनिक समय में जनमत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की है। मीडिया की शक्ति को अभिव्यक्त करते हुए "नेपोलियन" ने कहा था कि "मुझे तीन हजार सैनिकों से इतना डर नहीं लगता जितना कि तीन समाचार पत्रों से" समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, लोकमत निर्माण के मुख्य साधन हैं।

प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में निहित है। संचार साधनों के माध्यम से अनेक प्रकार की सूचनाएं, आंकड़े, विचार, दृष्टिकोण जनता तक पहुंचते हैं। सरकार की नीतियों, राजनैतिक दलों की गतिविधियों, जनता की प्रतिक्रिया और सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा आदि बातें प्रकाश में आती हैं। सरकार और जनता के मध्य कड़ी के रूप में मीडिया कार्य करता है। जनता की इच्छा और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की प्रतिक्रिया जनता तक पहुंचाता है।

लोकमत अभिकरण के रूप में समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाओं के साथ दो तरह की कठिनाइयां जुड़ी हैं—प्रथम भारत जैसे देश में विस्तृत निर्धनता और निरक्षरता पाई जाती है। उदाहरण के लिए भारत में 38 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है और 25 प्रतिशत जनसंख्या दरिद्रता के स्तर पर जीवन यापन कर रही है। 'युनेस्को' की 'वर्ल्ड कम्युनिकेशन रिपोर्ट 1997' के अनुसार जहां जापान जैसे उन्नत देश में प्रति 1 हजार लोगों के लिए 576 समाचार पत्र वितरित किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में इतनी ही जनसंख्या के लिए कुल 26 समाचार पत्रों की बिक्री होती है तथा द्वितीय पत्र पत्रिकाएं निकालना इतना खर्चीला धन्धा है कि केवल बड़े-बड़े व्यापारी और उद्योगपति ही ऐसी पत्र-पत्रिकाएं निकाल पाते हैं, जिनका प्रभाव व्यापक हो, छोटी पत्र-पत्रिकाएं निकलती है तो ठप हो जाती हैं, या फिर विज्ञापनों के सहारे चलती हैं जो बहुत ही थोड़े लोगों तक पहुंच पाती हैं। ये पत्र-पत्रिकाएं विभिन्न वर्गों के विचार छापकर अपने पाठकों को सोचने की प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन टेलीविजन, रेडियो, जैसे महंगे संसाधनों का उपयोग निर्धन वर्ग से अछूता है, क्योंकि इनको खरीदना उनकी हैसियत से बाहर है।

आधुनिक समय में जनमत जगाने में रेडियो-टेलीविजन और चलचित्र एक सशक्त माध्यम हैं। इनका प्रभाव शिक्षित-अशिक्षित सभी पर पड़ता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों की समस्याओं की जानकारी सभी को मिलती है। सिनेमा के माध्यम से फिल्में जन मानस पर सीधा और तीव्र प्रभाव छोड़ती हैं। किसी भी शासन की छवि उभारने या गिराने में इन माध्यमों का बहुत बड़ा हाथ होता है। 'मीडिया' के माध्यम से 'सूचना का अधिकार' (12 अक्टूबर,, 2005) जन-जन तक प्रसारित किया जा रहा है, जिसका लाभ भारत की जनता उठा रही है।

स्वस्थ और प्रबुद्ध जनमत के निर्माण के लिए मीडिया का निष्पक्ष और निर्भीक होना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्र मीडिया से नागरिकों को सही रूप में समाचार पहुंचते है। जिससे स्वस्थ जनमत बन सकता है। "प्रसार भारती" अधिनियम के अन्तर्गत भारत में 1997 से रेडियो और टेलीविजन की औपचारिक स्वायत्तता (Autonomy) प्रदान कर दी गई है। परन्तु इन्हें अब भी मुख्यतः भारत सरकार का प्रवक्ता माना जाता है। केबल टेलीविजन के माध्यम से अब इस देश में विश्वभर की समाचार सेवाएं सुलभ हो गई हैं। अतः अब जन साधारण को निष्पक्ष समाचार मिलने की संभावनाएं बहुत उज्ज्वल हो गई हैं जिससे स्वस्थ जनमत निर्माण की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जन संपर्क के सशक्त माध्यम में टेलीविजन का प्रभाव सुदूर गांवों तक भी फैल गया है। उदाहरण हेतु, **पल्स पोलिया अभियान** के दौरान इन साधनों की सहायता से संपूर्ण देश में पांच वर्ष से छोटे शिशुओं को निश्चित स्थानों पर एकत्र करके पोलियो की दवा पिलाई, ताकि देश में पोलिया की

बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके। **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2 फरवरी 2006** की जानकारी भी मीडिया के द्वारा जन-जन तक पहुंच चुकी है। जिसका लाभ वर्तमान में देश 200 जिले, जिनमें राजस्थान के 6 जिले (उदयपुर, डुंगरपुर, सिरोही, करौली और झालावाड़ सम्मिलित हैं, जो लाभान्वित हो रहे हैं।

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व, संविधान न्यायपालिका को सौंपता है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मीडिया भी मानवाधिकारों की रक्षा में पीछे नहीं है अर्थात् मीडिया ने भी मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर ली है। शुरू से ही मीडिया का क्षेत्र व्यापक था लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में मीडिया की भूमिका अत्यधिक बढ़ जाती है।

मीडिया राष्ट्रीयता की भावना का विकास करती है। परम्परागत समाज में जन माध्यमों की कमी थी, समाज के आधुनिक होने के लिए जन माध्यमों का विकास बहुत आवश्यक है। इसके लिए टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को सुदूर गांवों तक जन-जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तो लोग इनका उपयोग करने लगेंगे। जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो स्थानीय संचार व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय मामलों पर विचार होगा। यदि ऐसा है तो निश्चय ही राष्ट्रहित, राष्ट्रीयता की भावना जनता में ठूंस-ठूंस कर होगी व अवश्य ही राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा।

संदर्भ सूची

1. विवेचनात्मक राजनीति विज्ञान कोष–
   डॉ. ओमप्रकाश गाबा
2. राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा–
   डॉ. ओ. पी. गाबा
3. हमारा संविधान–
   आचार्य मालचन्द्र गोस्वामी, 'प्रखर'
4. आधुनिक संविधान के सिद्धान्त–
   डॉ. एस. सी. सिंहल
5. भारतीय शासन एवं राजनीति–
   डॉ. रूपा मंगलानी
6. समकालीन राजनीतिक विचार–
   डॉ. डी. के. बिल्लौरे